24/11/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थी नं. 1 की ओर से पेशकार नं. के प्रतिनिधि उप. 3 नके द्वारा जवाब प्रस्तुत पेश किया गया। जो पत्रावली के शामिल रहे।

अतः पत्रावली वास्ते बहस पर बहस हेतु दि. 07/12/22 को पेश हो।

07/12/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थी 1 की ओर से पेशकार नं. के प्रतिनिधि उप. वकील प्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की गई।

अतः पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दि. 21/12/22 को पेश हो।

21/12/22 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी श्री/श्रीमती ... अवकाश पर हैं।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 9/01/23

9/01/23 CN 32/2022

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. वकील प्रार्थी को पुनः बहस सुनी गई।

अतः पत्रावली आदेश हेतु दि. 10/01/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

10/01/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज० ~~[illegible]~~ का० राज० अधि० 1956 का स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर पत्रावली नम्बर से खारिज हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 32/2022

1. मदन गोपाल मीणा पुत्र भोलूराम जाति मीणा निवारी ग्राम फरासिया, मदनगंज किशनगढ़, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. गीता देवी पुत्री भोलूराम पत्नि श्री शिवराज मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम नाईखेड़ा तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

दिनांकः 10/01/2023

उपस्थितः श्री उमराव चौधरी प्रार्थी अभिभाषक

श्री सुभाष मीणा अप्रार्थी सं0 2 अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि खाता सं0 नया 120 ख0नं0 27 रकबा 3.0904 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम वाकै ग्राम फरासिया पटवार हल्का सांवतसर तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 में स्थित है जिसमें राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थी का 3/4 हिस्सा सहखातेदारी में दर्ज है। उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम मदनलाल पुत्र भोलूराम का इन्द्राज किया हुआ है जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम मदन गोपाल मीणा पुत्र भोलूराम है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मदनलाल पुत्र भोलूराम गलत अंकन हो रखा है। जिसको दुरूस्त करवा कर प्रार्थी का सही नाम मदन गोपाल मीणा पुत्र भोलूराम का इन्द्राज करवा कर, इन्द्राज दुरूस्ती करवाना चाहता है। प्रार्थी के परिवार राशनकार्ड, विधानसभा निर्वाचन नामावली, आधार कार्ड एवं सर्विस रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मदन गोपाल मीणा पुत्र भोलूराम मीणा दर्ज जिसका परिचय पत्र सहायक निर्माण प्रबन्धक (स) का

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

कार्यालय अजमेर द्वारा जारी किया गया है। प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम मदन गोपाल मीणा पुत्र भोलूराम है जबकि प्रार्थी की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम मदनलाल पुत्र भोलूराम गलत अंकित होने से प्रार्थी को किसान कार्ड बनवाने व राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदान प्राप्त करने में एवं अपनी कृषि भूमि के विकास करने में व राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाली सुविधाएं, मुआवजा प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जबकि मदन गोपाल मीणा पुत्र भोलूराम व मदनलाल पुत्र भोलूराम उक्त नामों का प्रार्थी एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी ने अपने कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी पर किसान कार्ड बनवाने हेतु पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल दिनांक 15.02.2022 को प्राप्त की तब प्रार्थी को जानकारी प्राप्त हुई कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम लिपिकिय त्रुटि के कारण सहवहन से मदनलाल पुत्र भोलूराम गलत दर्ज अंकित किया हुआ है जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम दस्तावेजी रिकार्ड के अनुसार मदन गोपाल मीणा पुत्र भोलूराम मीणा है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम फरासिया पटवार हल्का सांवतसर तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 स्थित कृषि आराजी खाता सं0 नया 120 ख0नं0 27 रकबा 3.0904 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम के राजस्व रिकार्ड में लिपिकिय त्रुटिवश/सहवहन से दर्ज नाम मदनलाल पुत्र भोलूराम के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम मदनगोपाल मीणा पुत्र भोलूराम मीणा का इन्द्राज करवा कर उक्त का अंकन राजस्व रिकार्ड में किये जाने हेतु प्रार्थी के पक्ष में आदेश पारित करने तथा तहसीलदार किशनगढ़ को उपरोक्तानुसार अमल दुरूस्ती करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थी को नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह **(Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4)** के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से वकील श्री सुभाष मीणा द्वारा वकालत नामा पेश किया गया किन्तु उनके द्वारा जवाब पेश नहीं करने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी सं0 2 पैरोकार सरकार की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

3.1 पैरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि ग्राम फरासिया के ख0नं0 27 रकबा 3.0940 हैक्टेयर में खातेदार का नाम मदनलाल पुत्र भोलूराम हिस्सा 3/4, गीता देवी पुत्री भोलूराम हि0 1/4 जाति मीणा सा0 देह खातेदार दर्ज है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित शेष अंकन प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

नाम मदनलाल पुत्र भोलूराम का इन्द्राज किया हुआ है जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम मदन गोपाल मीणा पुत्र भोलूराम है। जिसको दुरूस्त करवा कर प्रार्थी का सही नाम मदन गोपाल मीणा पुत्र भोलूराम का इन्द्राज करवा कर, इन्द्राज दुरूस्ती करवाना चाहता है। प्रार्थी के परिवार राशनकार्ड, विधानसभा निर्वाचन नामावली, आधार कार्ड एवं सर्विस रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मदन गोपाल मीणा पुत्र भोलूराम मीणा दर्ज जिसका परिचय पत्र सहायक निर्माण प्रबन्धक (स) का कार्यालय अजमेर द्वारा जारी किया गया है। प्रार्थी की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम मदनलाल पुत्र भोलूराम गलत अंकित होने से प्रार्थी को किसान कार्ड बनवाने व राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदान प्राप्त करने में एवं अपनी कृषि भूमि के विकास करने में व राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाली सुविधाएं, मुआवजा प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में लिपिकिय त्रुटिवश/सहवहन से दर्ज नाम मदनलाल पुत्र भोलूराम के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम मदनगोपाल मीणा पुत्र भोलूराम मीणा का इन्द्राज करवा कर उक्त का अंकन राजस्व रिकार्ड में किये जाने हेतु प्रार्थी के पक्ष में आदेश पारित करने का निवेदन किया।

4.2 अप्रार्थी सं0 1 पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम फरासिया के ख0नं0 27 रकबा 3.0940 हैक्टेयर में खातेदार का नाम मदनलाल पुत्र भोलूराम हिस्सा 3/4, गीता देवी पुत्री भोलूराम हि0 1/4 जाति मीणा सा0 देह खातेदार दर्ज है।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात् का अद्योपांत अवलोकन एवं अध्ययन किया जाकर बहस पक्षकारान् सुन मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 के खाता संख्या नया 120 पुराना 116 में ग्राम फरासिया स्थित वर्तमान ख0नं0 27 रकबा 3.0904 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मदनलाल पुत्र भोलूराम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजात् यथा आधार कार्ड, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, राशन कार्ड व परिचय पत्र सहायक निर्माण प्रबन्धक (स) का कार्यालय अजमेर द्वारा जारी पहचान पत्र एवं वकील प्रार्थी की बहस अनुसार प्रार्थी का वास्तविक नाम मदन गोपाल मीणा पुत्र भोलूराम मीणा है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजथान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को ग्राम फरासिया स्थित खाता संख्या नया 120 पुराना 116 वर्तमान ख0नं0 27 रकबा 3.0904 हैक्टेयर भूमि में दर्ज प्रार्थी के नाम मदनलाल पुत्र भोलूराम के स्थान पर मदनलाल उर्फ मदन गोपाल मीणा पुत्र भोलूराम मीणा का अंकन करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार किशनगढ़ उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन की कार्यवाही करे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10/01/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)